न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4457–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक अपील 32/2012–13

भूरालाल पिता गलिया गामड
निवासी ग्राम देवला, तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ, म0प्र0 ———आवेदक

विरूद्ध

भूरिया पिता सजना डिण्डोर
निवासी ग्राम देवला तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ, म0प्र0 ———अनावेदक

– – – – – –

श्री किशोर जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 17 दिसम्बर 2014)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक अपील 32/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23–10–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला झाबुआ के पत्र कमांक 3046/97/भू0अभि0/रा0नि0का/2011 दिनांक 17–10–2011 के अनुपालन में नायब तहसीलदार उप तहसील सारंगी के ग्राम देवली में कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण संस्थित कर उद्घोषणा प्रकाशित की गई। प्राप्त आवेदनों में से कोटवारी पद हेतु दो आवेदन पत्र संबंधित ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव के साथ नायब तहसीलदार को प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 01–2–2012 को ग्राम देवली के रिक्त कोटवार पद पर अनावेदक को नियुक्त किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10–10–2012 के द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार करते हुये आवेदक की नियुक्ति के आदेश दिये गये। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 23–10–2013 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक एवं अनावेदक दोनों को योग्य मानते हुये उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया था, परन्तु नायब तहसीलदार ने आवेदक को क्यों अयोग्य माना है इसका कोई स्पष्ट कारण अपने आदेश में नहीं दिया है। अधनीस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की किया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को अयोग्य नहीं माना था। ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव में दोनों को योग्य पाये जाने से एवं कोटवार का केवल एक पद होने से दोनों में से किसी एक का चयन करना था, इसलिये नायब तहसीलदार ने साक्षात्कार में अनावेदक को अधिक योग्य पाया होगा, इसलिए उसकी नियुक्ति की। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर झाबुआ से कोटवार पद पर नियुक्त हेतु आदेश प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार द्वारा कोटवार पद हेतु विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया। उद्घोषणा के प्रकाशन उपरांत तहसील पेटलावद की ग्राम पंचायत देवली के कोटवार पद हेतु भूरालाल एवं भूरिया के आवेदन प्राप्त हुये। ग्राम पंचायत देवली द्वारा भूरालाल एवं भूरिया दोनों के संबंध में सहमति देते हुये दोनों में किसी एक की नियुक्ति योग्तानुसार किये जाने हेतु ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत दोनों का साक्षात्कार लेने के पश्चात अनावेदक भूरिया को योग्य मानते हुये, संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के अनुसार कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति की गई। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उभय पक्ष की योग्यता एक समान होने से आवेदक को क्यों अयोग्य माना तथा अनावेदक भूरिया को किस आधार पर अधिक योग्य मानते हुये कोटवार पद पर नियक्ति की गई। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा दोनों आवेदकों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया था अतः पद एक होने से किसी एक की ही नियुक्ति की जा सकती थी इसके लिए नायब तहसीलदार द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्षात्कार लिया गया और साक्षात्कार के बाद कोटवार पद हेतु अधिक योग्य पाते हुये अनावेदक भूरिया की नियुक्ति की गई है।

पंचायत देवली

इस संबंध में 1985 आर एन 36 में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि – ''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 230, 44 तथा 50–कोटवार की नियुक्ति–अपील अथवा पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि नियुक्ति व्यक्ति अनर्ह या नियुक्ति स्पष्टतः अनियमित न हो।''

इस प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा कोटवार पद पर की गई नियुक्ति अनियमित नहीं मानी जा सकती। नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 का पालन करते हुये विधिवत कोटवार के पद पर नियुक्ति की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर अनावेदक के स्थान पर आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त करने का आदेश त्रुटिपूर्ण था, एवं उक्त आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर

संबंध में ग्राम सभा अपना स्पष्ट
त करें, जिस अनुसार ग्राम पंचायत देवली